भैराराम बनाम जालुराम आदि

प्रा.प. अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रकरण संख्या 35 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.03.2025	वकुलाए फरिकैन उपस्थित। अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थनापत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसके खिलाफ प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. प्रकरण को रेस्टोर किये जाने हेतु पेश किया गया। न्यायहित में मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ शामिल रहे। प्रार्थना पत्र संख्या 103/2018 को पुनः खोले जाने आदेश दिये जाते है। प्रार्थनापत्र पुनः दर्ज रजिस्टर कर वास्ते सुनवाई में रखा जाकर तारीख पेशी में लिया जावे। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested